



प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ०प्र०,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग**लखनऊ: दिनांक: 09 फरवरी, 2026**

विषय:- स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर दिनांक 14-15 अगस्त, 2025 को जनपद लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों एवं कार्यक्रमों की अन्य व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 4034/सं०नि०-15(46)/2025-26 दिनांक 17 जनवरी, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा शासन के पत्र संख्या- 2257/चार-2025-1886120 दिनांक 01 अगस्त, 2025 के क्रम में स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर दिनांक 14-15 अगस्त, 2025 को जनपद लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों एवं कार्यक्रमों की अन्य व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय का निम्नानुसार विवरण उपलब्ध कराते हुए वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र०	कलाकार/ फर्म का नाम	बीजक संख्या व दिनांक	विधा	मानदेय	कुल मानदेय
1	श्री अजय कुमार, लखनऊ (पराक्रम द फ्यूजन बैण्ड)	14.08.2025	देशभक्ति गायन	40,000.00	40,000.00
2	श्री आकाश शर्मा, लखनऊ	14.08.2025	देशभक्ति गायन	40,000.00	40,000.00
3	श्री अनुप कनौजिया, लखनऊ	14.08.2025	देशभक्ति गायन	40,000.00	40,000.00
4	श्री दीपक चौधरी, लखनऊ	14.08.2025	देशभक्ति गायन	40,000.00	40,000.00
5	श्री शानू कुमार, लखनऊ	14.08.2025	देशभक्ति गायन	40,000.00	40,000.00
6	श्री गुंजन रॉय, लखनऊ	15.08.2025	देशभक्ति गायन	40,000.00	40,000.00
7	श्री शिवम मिश्रा, लखनऊ	15.08.2025	देशभक्ति गायन	40,000.00	40,000.00
8	श्री रजत चन्द्र, लखनऊ	15.08.2025	देशभक्ति गायन	40,000.00	40,000.00
9	श्री अनुराग श्रीवास्तव, लखनऊ	15.08.2025	देशभक्ति गायन	40,000.00	40,000.00
10	श्री सम्राट राजकुमार, लखनऊ	15.08.2025	देशभक्ति गायन	40,000.00	40,000.00
11	श्री परमानन्द प्रजापति, लखनऊ	15.08.2025	कठपुतली शो	15,000.00	15,000.00
12	मे० एस३ इंफो मीडिया प्रा० लि०,	57/13.10.2025			11,55,810.00
13	लखनऊ	58/13.10.2025			11,30,588.00
14		54/13.10.2025			3,84,114.00
15	मे० ड्रीम 360, लखनऊ	211/13.09.2025			2,36,000.00
16	मे० बनारसी टेन्ट एण्ड फर्नीचर, लखनऊ	123/26.09.2025			5,36,000.00
	योग	(रूपये अड़तीस लाख सत्तावन हजार पांच सौ बारह मात्र)			38,57,512.00

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसार स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर दिनांक 14-15 अगस्त, 2025 को जनपद लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों एवं कार्यक्रमों की अन्य व्यवस्थाओं पर हुए वास्तविक व्यय **रु० 38,57,512.00**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <https://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(रूपये अड़तीस लाख सत्तावन हजार पांच सौ बारह मात्र) की कार्योत्तर प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- (1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 - (2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
 - (3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
 - (4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
 - (5) समस्त कार्यो का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
 - (6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
 - (7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
 - (8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
 - (9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निर्वर्तन पर है, अतः बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
 - (10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक- 2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय -13- आजादी का अमृत काल महोत्सव - 42-अन्य व्यय मद में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।
4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।